

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0संख्या-ल0सि0मो0/HKKP-2024-25/बांका-132/25-225 पटना, दिनांक- 05/08/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

E-mail

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका ।

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटन निर्गत किया गया है ।

2. वर्तमान में कुल-2884.685 लाख (अठ्ठाईस करोड़ चौरासी लाख अड़सठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन दिया जाता है:-

(राशि लाख रुपये)

क्र0	योजना का नाम	वर्तमान आवंटित राशि		कुल आवंटित राशि
		50-4702001010106 (विषय शीर्ष-53.01)	50-4702007890106 (विषय शीर्ष-53.01)	
1	2	3	4	5
1	गहिरा नदी पर जोकी वीयर का निर्माण कार्य एवं गौरीसागर बांध वीयर का निर्माण कार्य	129.02652	24.57648	153.60300
2	मुक्ता बाध, मुसवा पोखर पईन एवं पथलकुड़िया से चांदपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	50.33028	9.58672	59.91700
3	हेथ चन्दन का जीर्णोद्धार कार्य	92.75196	17.66704	110.41900
4	मनसंधी बांध का जीर्णोद्धार कार्य	21.71568	4.13632	25.85200
5	अथमाहा वीयर का निर्माण कार्य	64.51452	12.28848	76.80300
6	डोहरी बांध योजना (Plot No.- 33) का जीर्णोद्धार कार्य	42.14448	8.02752	50.17200
7	दतिन वीयर का निर्माण कार्य एवं धरमगढ़ा वीयर योजना का निर्माण कार्य	68.99424	13.14176	82.13600
8	गहिरा नदी पर देवदार वीयर का निर्माण कार्य एवं बलियास वीयर का निर्माण कार्य	205.28844	39.10256	244.39100
9	कौआडीह चेक डैम का निर्माण कार्य, सुखनीया नदी पर चिलकारा चेक डैम का निर्माण कार्य, डुमरिया नदी पर चिलकारा चेक डैम का निर्माण कार्य एवं पोस्टमारा नदी पर वीयर का निर्माण कार्य	164.20488	31.27712	195.48200

10	पररिया वीयर योजना का निर्माण कार्य, कुरुमटांड चेक डैम का निर्माण कार्य एवं तरी चेक-डैम का निर्माण कार्य।	111.86280	21.30720	133.17000
11	वेगपुर चेक डैम का निर्माण कार्य एवं खुशहालपुर चेकडैम का निर्माण कार्य	96.04896	18.29504	114.34400
12	झुनझुनिया नदी चेक डैम का निर्माण कार्य, नारायणपुर चेक डैम का निर्माण कार्य एवं नरकटिया वीयर का निर्माण कार्य।	201.83520	38.44480	240.28000
13	उल्ही बांध का जीर्णोद्धार कार्य।	127.26336	24.24064	151.50400
14	तेलंगावा चेकडैम का निर्माण कार्य, फुलहारा चेक डैम का निर्माण कार्य, कदमाजोर वीयर योजना का निर्माण कार्य एवं करेवार नाला चेकडैम का निर्माण कार्य,	109.39152	20.83648	130.22800
15	कठौन चेकडैम का निर्माण कार्य, सहसराम डोर वीयर योजना (अक्रॉस सुखनियां नदी) का निर्माण कार्य एवं गोकुला अराजी वीयर योजना (सिरीया बहियार) का निर्माण कार्य	144.15156	27.45744	171.60900
16	जावा चेक डैम का निर्माण कार्य	58.17504	11.08096	69.25600
17	झरना चेक डैम का निर्माण कार्य	61.54512	11.72288	73.26800
18	मधुवन वीयर योजना का निर्माण कार्य, पुतरिया चेक डैम का निर्माण कार्य एवं विलासी नदी पर धर्मराय वीयर का निर्माण कार्य	61.82400	11.77600	73.60000
19	ललमुनियातरी चेक डैम का निर्माण कार्य, सादपुर वीयर योजना का निर्माण कार्य एवं रामपुर वीयर का निर्माण कार्य	193.91484	36.93616	230.85100
20	घुसरी वीयर योजना का निर्माण कार्य, गोकुला गरीकदसरा वीयर योजना (अक्रॉस सुखनियां नदी) का निर्माण कार्य एवं टुटाकुरा चेकडैम का निर्माण कार्य	38.76600	7.38400	46.15000
21	रामपुर पबड़ा उद्बह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	8.59656	1.63744	10.23400
22	बेलातरी जोगिनिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य	16.41108	3.12592	19.53700
23	घोड़मारा दक्षिणी उत्तरी एवं पीपरा बाँध का जीर्णोद्धार कार्य।	16.67064	3.17536	19.84600
24	बनगदा बांध का जीर्णोद्धार कार्य	12.05232	2.29568	14.34800

[Handwritten Signature]

25	वंदा एवं भोजराय बांध का जीर्णोद्धार कार्य	4.06224	0.77376	4.83600
26	विनोद मुकेश मनीष बांध (रौशन रसोइया एवं कन्हैया राय बांध) का जीर्णोद्धार कार्य	14.55972	2.77328	17.33300
27	हेथनेगाजोर उद्बह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	8.74356	1.66544	10.40900
28	डोमसरनी-2 उद्बह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	9.04092	1.72208	10.76300
29	डोमसरनी-3 उद्बह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	9.28200	1.76800	11.05000
30	कठौन उद्बह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	3.75900	0.71600	4.47500
31	रामपुर पईन (190, 268) का जीर्णोद्धार कार्य	9.33996	1.77904	11.11900
32	बुढ़वा बांध एवं झिटका पईन का जीर्णोद्धार कार्य (Plot No.- 32)	11.36184	2.16416	13.52600
33	मझगाय पईन का जीर्णोद्धार कार्य	57.24096	10.90304	68.14400
34	पदमपुर नवकी बांध एवं पदमपुर रघुनी कित्ता पईन (413,409,372,376,184,56,63) का जीर्णोद्धार कार्य	38.72652	7.37648	46.10300
35	चम्पा पोखर का जीर्णोद्धार कार्य।	24.56244	4.67856	29.24100
36	झरना बांध का जीर्णोद्धार कार्य (प्लॉट नं0-1751)	31.61256	6.02144	37.63400
37	नगधा बांध योजना का जीर्णोद्धार कार्य	35.07336	6.68064	41.75400
38	सलैया बहैरवा आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	9.22824	1.75776	10.98600
39	बबूरिया, निचली और उपरली बांध का जीर्णोद्धार कार्य (प्लॉट नं0-283,328)	3.61200	0.68800	4.30000
40	भरथन्तरी बांध का जीर्णोद्धार कार्य	9.38784	1.78816	11.17600
41	रेहा एवं फुटलाही बांध योजना का जीर्णोद्धार कार्य	12.65544	2.41056	15.06600

42	मुसकरवा और भंगवा नाला आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	33.40680	6.36320	39.77000
योग:-		2423.13540	461.54960	2884.68500

3. आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय ।
4. संबंधित योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी होगी ।
5. मापीपुस्त (MB) को PWD Code एवं PWD Account Code के तहत जाँच कर ही भुगतान संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
6. खनन कर, GST के प्रावधान के अनुसार शुल्क (Tax) जमा कराना संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्ट के अनुरूप हुआ है ।
8. योजनाओं के कार्य के डिफेक्ट को दूर कर ही भुगतान किया जाय । साथ ही विलम्ब से चल रही योजनाओं में नियमानुसार पेनाल्टी की कटौती करने हेतु विभागीय पत्रांक-235 (मो0) दिनांक-17.02.26 द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
9. प्रशासनिक स्वीकृति के बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि की सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जाय ।
10. संबंधित योजनाओं के स्थल सीमांकन का सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी से कराना कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
11. आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।
12. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।
13. योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे ।
14. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।
15. आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे । साथ ही आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।
16. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।
17. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय नियमानुकूल एवं निर्धारित सीमा के अन्दर हो ।

18. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगें। यदि आपके द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यों पर किये गये भुगतान की जबाबदेही आप की भी होगी।
19. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे।
20. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना, संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे।
21. राशि की निकासी जिला कोषागार, बांका से की जायेगी।
22. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
23. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

225

पटना, दिनांक-

05/08/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण/आई0टी0मैनेजर,आई0टी0 कोषांग को आवंटनादेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

E-mail

ज्ञापांक-

225

पटना, दिनांक-

05/08/26

प्रतिलिपि:-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित अंचलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

४